



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India
वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance
सीजीएसटी एवं एक्साइज आयुक्तालय :सूरत
CENTRAL GST & EXCISE COMMISSIONERATE : SURAT
CENTRAL EXCISE BUILDING, CHOWK BAZAR, SURAT-395001
Ph.0261-2462694, Email: rti-cgstsurat@outlook.com

फाईल सं : XIX/001/2017

सूरत, दिनांक :- 18 06.2019

सार्वजनिक सूचना सं. 02/2019-20

स्थापना आदेश संख्या 16/2019 दिनांक 11.06.2019 के फलस्वरूप एवम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(i)(b), (xvi), धारा 5(i) और धारा 19(i) के प्रावधानों अनुसार, पत्रावली सं. III/001/2017 दिनांक 06.03.2019 से निर्गत सार्वजनिक सूचना सं. 04/2018-19 को संशोधित किया जाता है।
निम्नलिखित अधिकारी को, जब तक अन्य कोई आदेश नहीं निकलता, तत्काल प्रभाव से सी जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सूरत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है-

अधिकारी का नाम	पदनाम	पता और दूरभाष नं.	क्षेत्राधिकार
श्री चूना राम, संयुक्त आयुक्त	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, गांधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत -395001. दूरभाष 0261-2478745	सम्पूर्ण जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, सूरत का क्षेत्राधिकार

इस नोटिस को जनता के लिए नियुक्ति अधिसूचित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

आयुक्त/सहायक आयुक्त का कार्यालय
Office of the Dy./Asstt. Commissioner
प्रप्त RECEIVED
19 JUN 2019
सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-I, सूरत
Central GST & Excise, Div-I, Surat

वीरेन्द्र चौधरी
(वीरेन्द्र के. चौधरी)
प्रधान आयुक्त

1. मुख्य आयुक्त, सी जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क, वडोदरा जोन, वडोदरा।
2. आयुक्त, प्रचार एवं जन सम्पर्क निदेशालय, सीमा शुल्क, जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क, सी आर बिल्डिंग, आई पी स्टेट, नई दिल्ली।
3. सी जी एस टी एवं उत्पाद, शुल्क वडोदरा जोन के सभी आयुक्त।
4. सी जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क सूरत आयुक्तालय के सभी मंडल।
5. मेलिंग सूची के अनुसार सभी व्यापार संघ।
6. सूचना पट्ट/वेबसाइट।
7. गार्ड फाईल।

Systeme

19.6.19

जी.एस.टी. व एक्साइज, सूरत आयुक्तालय
प्राप्त
19 JUN 2019
सं : (18) कॉपी
हस्त : *[Signature]*

उप आयुक्त/सहायक आयुक्त का कार्यालय
Office of the Dy./Asstt. Commissioner
प्रप्त/RECEIVED
19 JUN 2019
सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-II, सूरत
Central GST & Excise, Div-II, Surat